न्यायालय उपखण्ड़ अधिकारी पदेन सहायक कलेक्टर, करेड़ा जिला भीलवाड़ा (राज0)

पीठासीन अधिकारी :– जोगेन्द्र सिंह, आर.ए.एस.

मुकदमा नम्बर 311/2017 (84/2011) राजस्व प्रार्थनापत्र

01. सोहन आत्मज कालू खाती (सुथार) उम्र बालिग निवासी– रेह तहसील माण्डल हाल तहसील करेड़ा जिला भीलवाड़ा (राज0) मृतक के बजाय कायम मुकाम–

1/1 देवकिशन पुत्र श्री सोहन सुथार (खाती) आयु वयस्क निवासी– रेह तहसील करेड़ा जिला भीलवाड़ा (राज0)

1/2 श्याम लाल पुत्र श्री सोहन सुथार (खाती) आयु वयस्क निवासी– रेह तहसील करेड़ा जिला भीलवाड़ा (राज0)

1/3 श्रीमती सायरी देवी पत्नी श्री सोहन सुथार (खाती) आयु वयस्क निवासी– रेह तहसील करेड़ा जिला भीलवाड़ा (राज0)

02. नैना उर्फ नानू आत्मज कालू खाती (सुथार) उम्र बालिग निवासी– रेह तहसील माण्डल हाल तहसील करेड़ा जिला भीलवाड़ा (राज0)

—— प्रार्थीगण

<u>बनाम</u>

1. नाथू पुत्र श्री मोहन खाती (सुथार) उम्र बालिग निवासी– रेह तहसील माण्डल हाल तहसील करेड़ा जिला भीलवाड़ा (राज0)
2. मांगी पुत्री श्री मोहन खाती (सुथार) उम्र बालिग निवासी– रेह तहसील माण्डल हाल तहसील करेड़ा जिला भीलवाड़ा (राज0)
3. भैरू आत्मज श्री मोहन खाती (सुथार) उम्र बालिग निवासी– रेह तहसील माण्डल हाल तहसील करेड़ा जिला भीलवाड़ा (राज0)
4. लेहरी पत्नी मोहन खाती (सुथार) उम्र बालिग निवासी– रेह तहसील माण्डल हाल तहसील करेड़ा जिला भीलवाड़ा (राज0)
5. कजोड़ आत्मज कालू खाती (सुथार) उम्र बालिग निवासी– रेह तहसील माण्डल हाल तहसील करेड़ा जिला भीलवाड़ा (राज0)
6. रामा आत्मज उदयराम उर्फ उदा खाती (सुथार) उम्र बालिग निवासी– रेह तहसील माण्डल हाल तहसील करेड़ा जिला भीलवाड़ा (राज0)
7. शंकर पुत्र श्री घीसू खाती (सुथार) उम्र बालिग निवासी– रेह तहसील माण्डल हाल तहसील करेड़ा जिला भीलवाड़ा (राज0)
8. कंकू पत्नी घीसू खाती (सुथार) उम्र बालिग निवासी– रेह तहसील माण्डल हाल तहसील करेड़ा जिला भीलवाड़ा (राज0)
9. बालू लाल आत्मज भूरा खाती (सुथार) उम्र बालिग निवासी– रेह तहसील माण्डल हाल तहसील करेड़ा जिला भीलवाड़ा (राज0)
10. बंशी लाल पुत्र श्री भूरा खाती (सुथार) उम्र बालिग निवासी– रेह तहसील माण्डल हाल तहसील करेड़ा जिला भीलवाड़ा (राज0)
11. पांची पुत्री भूरा खाती (सुथार) उम्र बालिग निवासी– रेह तहसील माण्डल हाल तहसील करेड़ा जिला भीलवाड़ा (राज0)
12. गीता पुत्री भूरा खाती (सुथार) उम्र बालिग निवासी– रेह तहसील माण्डल हाल तहसील करेड़ा जिला भीलवाड़ा (राज0)

उपखण्ड अधिकारी पदेन
सहायक कलक्टर करेड़ा

13. हगामी बेवा भूरा खाती (सुथार) उम्र बालिग निवासी– रेह तहसील माण्डल हाल तहसील करेड़ा जिला भीलवाड़ा (राज0)
14. भैरू पुत्र श्री दयाराम खाती (सुथार) उम्र बालिग निवासी– रेह तहसील माण्डल हाल तहसील करेड़ा जिला भीलवाड़ा (राज0)
15. भंवर लाल पुत्र श्री रामचन्द्र खाती (सुथार) उम्र बालिग निवासी– रेह तहसील माण्डल हाल तहसील करेड़ा जिला भीलवाड़ा (राज0)
16. रूगनाथ पुत्र श्री रामचन्द्र खाती (सुथार) उम्र बालिग निवासी– रेह तहसील माण्डल हाल तहसील करेड़ा जिला भीलवाड़ा (राज0)
17. सरजू पुत्री श्री रामचन्द्र खाती (सुथार) उम्र बालिग निवासी– रेह तहसील माण्डल हाल तहसील करेड़ा जिला भीलवाड़ा (राज0)
18. नोसी पुत्री श्री रामचन्द्र खाती (सुथार) उम्र बालिग निवासी– रेह तहसील माण्डल हाल तहसील करेड़ा जिला भीलवाड़ा (राज0)
19. केसी पत्नी श्री रामचन्द्र खाती (सुथार) उम्र बालिग निवासी– रेह तहसील माण्डल हाल तहसील करेड़ा जिला भीलवाड़ा (राज0)
20. बेणीराम आत्मज श्री उदा खाती (सुथार) उम्र बालिग निवासी– रेह तहसील माण्डल हाल तहसील करेड़ा जिला भीलवाड़ा (राज0)
21. सुखराम पुत्र श्री उदा खाती (सुथार) उम्र बालिग निवासी– रेह तहसील माण्डल हाल तहसील करेड़ा जिला भीलवाड़ा (राज0)
22. श्रीमती रामकंवर पत्नी अर्जुन सिंह राजपूत निवासी– बेलिया का खेड़ा तहसील माण्डल जिला भीलवाड़ा
23. शाखा प्रबंधक बैंक ऑफ बडौदा शाखा भगवानपुरा तहसील माण्डल
24. शाखा प्रबंधक दी सेन्ट्रल को–ऑपरेटिव बैंक भीलवाड़ा शाखा करेड़ा
25. राजस्थान राज्य जरिये तहसीलदार साहब, करेड़ा जिला भीलवाड़ा
26. मुरली पुत्र श्री सोहन लाल शर्मा आयु वयस्क निवासी– रेह तहसील करेड़ा जिला भीलवाड़ा
27. अमरचन्द पुत्र श्री महाराम गर्जर आयु वयस्क निवासी– रेह तहसील करेड़ा जिला भीलवाड़ा

—— विपक्षीगण

<u>प्रार्थनापत्र अन्तर्गत धारा– 212 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम</u>

उपस्थित :–

1. श्री मुकेश कुमार जैन —अधिवक्ता प्रार्थीगण
2. एकपक्षीय ——अधिवक्ता विपक्षी सं. 1 से 25
3. मनोहर लाल सैन —विपक्षी सं. 26 ,27

:: आदेश :: दिनांक– 09/10/2024

प्रकरण के संक्षेप मे तथ्य इस प्रकार है कि प्रार्थीगण ने एक वादपत्र धारा 53, 54, 188 राज0 काश्तकारी अधिनियम के तहत विभाजन आरायित एवं स्थायी निषेधाज्ञा का पेश किया, जिसके साथ एक प्रार्थनापत्र अन्तर्गत धारा 212 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम के तहत सरहद रेह तहसील माण्डल हाल तहसील करेड़ा जिला भीलवाड़ा मे खाता संख्या 250 मे आराजी नम्बर 18, 539, 725,737,743 कुल किता 05 रकबा 02 बीघा 16 बिस्वा, खाता संख्या

उपखण्ड अधिकारी पदेन
सहायक कलक्टर करेड़ा

251 मे आराजी नम्बर 335, 336,337,383, 406,575, 721, 722, 723, 726, 727, 730,734, 735, 736, 738, 739, 741, 744, 745, 748, 1324/738 कुल किता 22 रकबा 19 बीघा 13 बिस्वा एवं खाता संख्या 113 मे आराजी नम्बर 404 रकबा 02 बीघा 01 बिस्वा, खाता संख्या 114 मे आराजी नम्बर 746, 747 कुल किता 02 रकबा 01 बीघा 11 बिस्वा के संबध मे पेश किया गया व उक्त आराजियात का मिट्स एण्ड बाऊण्ड्स के आधार पर विभाजन नही हो जाने तक उक्त आराजियात को अन्य को विक्रय, हस्तांतरण कर देगे तो प्रार्थीगण को अपूरणीय क्षति होगी। इस कारण से बिना विभाजन कराये उक्त आराजियात को अन्य को रहन, विक्रय , हस्तांतरण नही करे व प्रार्थीगण का प्रथम दृष्टया मामला है, सुविधा संतुलन प्रार्थीगण के पक्ष मे व किसी अन्य को विक्रय हस्तांतरण करने पर अपूरणीय क्षति होगी।

प्रकरण दर्ज रजिस्टर किये गये व विपक्षीगण बाद तामिल होने से विपक्षीगण के विरूद्व एकपक्षीय कार्यवाही की गयी व विपक्षी संख्या 22 की ओर से जवाब पेश किया गया, जिसे शामिल पत्रावली किये गये व विपक्षी संख्या 26 एंव 27 की ओर से 01 नियम 10 जा0दी0 का प्रार्थनापत्र पेश किया गया, जिसे स्वीकार किया जाकर पक्षकार संयोजित किया गया। मामले मे विपक्षीगण की ओर से न्यायालय प्रकरण संख्या 12/2020 राजस्व वाद नैना बनाम कजोड़ व अन्य मे पारित निर्णय व डिक्री दिनांक 03/09/2024 की प्रमाणित प्रति पेश की गयी। जिसे शामिल पत्रावली की गयी।

अस्थायी निषेधाज्ञा जारी करने से पूर्व निम्न तीनो बिन्दुओ का विवेचन किया जाना न्याय संगत है–

1– **प्रथम दृष्टया मामला**

2– **सुविधा संतुलन**

3– **अपूरणीय क्षति**

सर्वप्रथम प्रथम दृष्टया मामला– प्रार्थीगण द्वारा मुख्य अनुतोष जो कि वादग्रस्त आराजियात के बिना विभाजन हुए किसी अन्य को रहन, विक्रय, हस्तांतरण नही करने हेतु है व विपक्षीगण द्वारा न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, करेड़ा के निर्णय/डिक्री की प्रति पेश की गयी, जिसका अवलोकन करने पर जाहिर आया कि प्रार्थीगण द्वारा जिन आराजियात के विभाजन व निषेधाज्ञा हेतु वादपत्र पेश किया गया है, उन्ही आराजियात के संबध मे प्रकरण संख्या 12/2020 राजस्व वाद निर्णय व डिक्री दिनांक 03/09/2024 नैना बनाम कजोड़ व अन्य मे विधिवत प्रक्रिया अपनाकर आपत्तियो का निस्तारण कर विभाजन हो चुका है व साथ ही दोनो प्रकरणो मे वादग्रस्त सम्पति व पक्षकारा व अनुतोष समान है। इन्ही आराजियात के संबध मे प्रार्थीगण द्वारा चाहे गये अनुतोष का निस्तारण हो चुका है। इस कारण से प्रथम दृष्टया मामला प्रार्थीगण के पक्ष प्रमाणित नही होकर विपक्षीगण के पक्ष मे प्रमाणित होता है।

सुविधा संतुलन– वादग्रस्त आराजियात का विधिवत विभाजन हो चुका है, मामले मे प्रार्थीगण एंव विपक्षीगण मोके पर हक हिस्से अनुसार काबिज है। प्रार्थीगण एवं विपक्षीगण रेकार्डेड खातेदार है, जिससे सुविधा संतुलन का बिन्दू विपक्षीगण के विरूद्व तय नही किया जा सकता है।

उपखण्ड अधिकारी एवं
सहायक कलक्टर करेड़ा

अपूरणीय क्षति– चूंकि प्रथम दृष्टया मामला, सुविधा संतुलन के बिन्दू विपक्षीगण के पक्ष मे प्रमाणित है व विपक्षीगण रेकार्डेड खातेदार काश्तकार है, जिनके विरूद्व किसी प्रकार की निषेधाज्ञा माननीय उच्च न्यायालयो एवं राजस्व मण्डल द्वारा प्रतिपाद्वित निर्णयो के अनुसार जारी नही की जा सकती है व उक्त सम्पदा बाबत प्रार्थीगण द्वारा चाहे गये वाद का अनुतोष अन्य प्रकरण प्रकरण सख्या 12/2020 राजस्व वाद निर्णय व डिकी दिनांक 03/09/2024 नैना बनाम कजोड़ व अन्य के जरिये निर्णय/डिकी पारित हो जाने से उक्त प्रकरण मे निषेधाज्ञा जारी होने पर प्रार्थीगण के मुकाबले विपक्षीगण को अपूरणीय क्षति होगी व मामले मे स्थगन जारी होने से उक्त प्रकरण संख्या 12/2020 राजस्व वाद मे पारित निर्णय व डिकी की पालना संभव नही है। इस कारण से अपूरणीय क्षति का बिन्दु भी प्रार्थीगण के विरूद्व व विपक्षीगण के पक्ष मे प्रमाणित होता है।

प्रार्थीगण का प्रार्थनापत्र सारहीन होने से खारीज होने योग्य पाता हूँ।

:: आदेश ::

अतः प्रार्थीगण का प्रार्थनापत्र धारा–212 आर.टि.एक्ट सारहीन होने से खारीज फरमाया जाता है। उक्त मामले मे न्यायालय उपखण्ड़ अधिकारी, माण्डल के प्रकरण संख्या 84/2011 राजस्व प्रार्थनापत्र जिसके बाद हस्तांतरित न्यायालय हाजा प्रकरण संख्या 311/2017 राजस्व प्रार्थनापत्र सोहन व अन्य बनाम नाथू व अन्य मे पारित अन्तरिम निषेधाज्ञा दिनांकित 09/02/2011 को खारीज की जाती है।

यह आदेश आज दिनांक 9.10.2024 खुले न्यायालय मे सुनाया गया।

(जोगेन्द्र सिंह)
आर.ए.एस.
उपखण्ड अधिकारी पदेन सहायक कलक्टर करेड़ा
उपखण्ड अधिकारी एवं पदेन सहायक कलक्टर,
करेड़ा जिला भीलवाड़ा (राज0)